कार्यालय जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी जनपद बलरामपुर

संख्या 146 / जि0आ0अ0 / व्यवस्थापन / 2020–21 / बलरामपुर दिनांक 11 जून 2020

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 की आबकारी नीति विषयक् शासनादेश संख्या–11 / 2020 / 155ई–2 / तेरह–2020–01 / 2020 दिनांक 24.01.2020 एवं आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 प्रयागराज के अर्द्वशासकीय पत्र संख्या 26444 / दस–लाइसेंस–367 / आबकारी नीति / 2020–21दिनांक 25.01.2020 तथा 11667–796 / टास्क फोर्स–2 / ई–लॉटरी / 2020–21 लखनऊः दिनांक जून 08, 2020 के अनुपालन में प्रथम व द्वितीय चरण के नवीनीकरण व प्रथम व द्वितीय चरण की सार्वजनिक ई–लॉटरी के पश्चात् अव्यवस्थित रहने वाली दुकानों के नियमित वार्षिक व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र ई–लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर आनलाइन आमन्त्रित किये जाते हैं। देशी शराब दुकान–जनकपुर 'क' व जनकपुर 'ख' तथा भांग दुकान–बालापुर जरवा 'क' व बालापुर जरवा 'ख' दोनों ही दुकाने मूल दुकान से सम्बन्धित ग्राम/ वार्ड/मोहल्ले में ही खोली जाएगी। ई–लाटरी के आवेदन के समय प्रोसेसिंग फीस आन लाइन जमा किया जायेगा तथा धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट , आधारकार्ड , पैनकार्ड, हैसियत प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं आई0टी0आर0 स्कैन करके अपलोड किया जायेगा। धरोहर धनराशि का बैक ड्राफ्ट जिला आबकारी अधिकारी बलरामपुर के पदनाम से होगा; तथा जिला आबकारी अधिकारी बलरामपुर के कार्यालय में मूलरुप में आवेदन करने की अन्तिम तिथि/समय तक जमा करना अनिवार्य होगा। जनपद बलरामपुर में अवशेष अव्यवस्थित आबकारी दुकानों जिनका ई–लॉटरी के माध्यम से व्यवस्थापन किया जाना है, का विवरण व समय–सारिणी निम्नवत् हैः–

दुकानों का विवरण

क्र0सं0	दुकान का नाम	दुकान का प्रकार	प्रास्थिति	वर्ष 2020–21 हेतु एम0जी0 क्यू0 (36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में) (ब0ली0 में)	वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस /बे0ला0फी0	वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित धरोहर धनराशि (रू0 में)	निर्धारित प्रोसेसिंग फीस (रू0 में0)	हैसियत/धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र की न्यूनतम धनराशि (रू0 में0)
1-	जनकपुर–क	देशी शराब	ग्रामीण	3480	104148	10415	20000	148438
2-	जनकपुर–ख	देशी शराब	ग्रामीण	3480	104148	10415	20000	148438
3-	तुलसीपुर	माडल शाप	नगर पंचायत	-	4500000	450000	30000	4500000
4-	बालापुर–क	भांग	ग्रामीण	60	55000	5500	6000	55000
5-	बालापुर–ख	भांग	ग्रामीण	60	55000	5500	6000	55000

ई–लॉटरी हेतु समय–सारिणी

कमांक	विवरण	तिथि/समय
1.	तृतीय चरण की ई–लाटरी हेतु आवेदन का प्रारम्भ	दिनांक 12.06.2020 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से
2.	तृतीय चरण में आनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि व समय	दिनांक 17.06.2020 को सायं 5:00 बजे तक
3.	तृतीय चरण की ई–लाटरी हेतु आवेदन पत्रों का परीक्षण	दिनांक 17.06.2020 को सायं 5:00 बजे से दिनांक 18.06.2020 को पूर्वान्ह 11:00 बजे तक।
4.	तृतीय चरण की ई–लाटरी हेतु तिथि/समय एवं स्थल	दिनांक 19.06.2020 को अपरान्ह 01:00 बजे से समाप्ति तक, कलेक्ट्रेट सभागार, बलरामपुर।

मॉडलशाप हेतु मदिरापान शुल्क रुपये 200000/–(दो लाख रुपये मात्र) अतिरिक्त रुप से देय होगा। ई–लाटरी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना तथा मास्क लगाना/चेहरे को गमछे आदि से ढक कर रखना, सेनिटाइजेशन व लाकडाउन के अन्य नियमों (धारा–144 आदि) का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त दुकानो का नियमित व्यवस्थापन होने तक; दैनिक आधार पर दुकान चलाए जाने हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित हैं। विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, बलरामपुर व क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से प्राप्त की जा सकती है।

11.06.20

(राजेश त्रिपाठी)
जिला आबकारी अधिकारी
बलरामपुर

11/6

(कृष्णा करुणेश)
जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी
बलरामपुर

संख्या 147-148/**तद्‌दिनांक।**

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सम्पादक, दैनिक जागरण व हिन्दुस्तान, जनपद बलरामपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को बलरामपुर संस्करण में न्यूनतम दर (डी0ए0वी0पी0 दर) पर प्रकाशित करा कर बिल दो प्रतियों में भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बलरामपुर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति को जनपद की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

11.06.20

(राजेश त्रिपाठी)
जिला आबकारी अधिकारी
बलरामपुर